पंची देवी

वी.

राजस्थान राज्य अन्य का राज्य।

(2008 की सिविल अपील संख्या 7556-57)

18 दिसंबर, 2008

[एस. बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जे. जे.]

सेवा कानून।

राजस्थान सार्वजनिक कार्य विभाग (बी एंड बीआर) बगीचे की व्यवस्था, जल कार्य और आयुरवेदिक को शामिल करनाःश्रम विभाग कर्मचारी सेवा नियम विभाग, 1964

आर.22ए (6)-पारिवारिक पेंशन-एक कार्य प्रभार कर्मचारी की पत्नी द्वारा उसकी मृत्यु के 14 साल बाद दावा किया गया कार्य प्रभार कर्मचारी की 1987 में मृत्यु हो गई -r.22-A लागू होने वाले वार्क प्रभार वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ प्रदान करना W. E. F. 17.9.1980 मृतक कार्य प्रभार वाले कर्मचारी की पत्नी को 1.9.1982 से प्रभावी विकल्प का उपयोग करने की स्वतंत्रता-नियम को संभावित रूप से लागू किया गया-नियम 22A के तहत विकल्प के अधिकार का प्रयोग करने का सवाल तभी उठेगा जब कर्मचारी नियम के लागू होने की तारीख को इसके लिए पात्र था-नियम नहीं दिया गया है।

पूर्वव्यापी प्रभाव और इसलिए, उन लोगों को लाभ देने का सवाल नहीं उठता जो अन्यथा इसके हकदार नहीं थे।

प्रशासनिक कानूनः

प्रत्यायोजित विधान-आयोजित आमतौर पर प्रकृति में संभावित होता है-एक अधिकार या दायित्व जो पहली बार बनाया गया था, उसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है-इसके अलावा, आर को संभावित प्रभाव देने में राज्य का इरादा।22 ए स्पष्ट और स्पष्ट है-राजस्थान लोक निर्माण विभाग (बी एंड बी)आर) उद्यान सिंचाई, जल निर्माण और आयुर्वेदिक कार्य प्रभार विभाग कर्मचारी सेवा नियम, 1964 सहित।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 14 और 226-आयोजितःअनुच्छेद 14 एक सकारात्मक अवधारणा है-दावेदार को उस निर्णय के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है जिस पर भरोसा किया गया था क्योंकि इसमें सही कानून नहीं था-अन्यथा भी याचिका और समीक्षा याचिका को दावेदार की ओर से देरी और विलम्ब के आधार पर दर्ज नहीं किया गया था-देरी/दर्द।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः2008 की सिविल अपील Nos.7556-7557।

जयपुर न्यायपीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 2 और 1 से 1997 की विशेष अपील संख्या 295 और डी. बी. सिविल विशेष अपील संख्या 295 में 2004 की डी. बी. सिविल समीक्षा याचिका संख्या 43 से।

अपीलकर्ता के लिए निलोफर कुरैशी, किरण कपूर और विपिन कुमार (शंकर डिवेट के लिए)।

प्रतिवादी की ओर से मिलिंद कुमार और (अरुणेश्वर गुप्ता की ओर से) मुकुल कुमार।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

**आदेश**

1. अनुमति स्वीकृत

2. अपीलार्थी के पति, जो वर्ष 1958 में लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और उक्त पोस्ट पर 31.3.1970 से प्रभावी 22.8.1972 के आदेश के माध्यम से पुष्टि की, की वर्ष 1978 में मृत्यु हो गई।अपने पति की मृत्यु के 14 वर्षों के बाद अपीलकर्ता ने राजस्थान लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के नियम 22 ए के तहत अपने पति की पारिवारिक पेंशन का दावा किया, जिसमें उद्यान, सिंचाई, जल निर्माण और आयुर्वेदिक विभाग कार्य प्रभार कर्मचारी सेवा नियम, 1964 (संक्षेप में 'नियम') शामिल हैं, जो 17.09.1980 से लागू हुए।चूंकि, उनके प्रतिनिधित्व पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष 1992 की संख्या 6890 वाली एक रिट याचिका दायर की।उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।इसके बाद अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष 1997 की सं. 295 वाली एक विशेष अपील दायर की।दिनांक 1 के आक्षेपित आदेश के कारण, उक्त विशेष अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि अपीलकर्ता ने अपने पति की मृत्यु के 14 वर्षों के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था अन्य बातों के साथ साथ चूंकि अपीलकर्ता के पति को देय सभी देय राशि का उनके जीवनकाल के दौरान विधिवत निपटान किया गया था अन्य बातों के साथ साथ मृतक की विधवा (यहां अपीलकर्ता) को उपदान सहित देय राशि प्राप्त हुई थी अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार, पारिवारिक पेंशन के लिए उनकी पात्रता का सवाल ही नहीं उठता है।

3. पीड़ित होते हुए, अपीलकर्ता ने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के

साथ 2004 की एक समीक्षा याचिका No.43 दायर की।उक्त समीक्षा आवेदन को भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन

समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है।

4. हालाँकि, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे कि एक महिला प्रभावती देवी के मामले में, जिनके पति भी कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, उसी उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि उक्त नियम का लाभ उन विधवाओं द्वारा भी दावा किया जा सकता है जिनके पतियों की उक्त नियम लागू होने से पहले मृत्यु हो गई थी।उक्त विद्वान न्यायाधीश के समक्ष, एक तर्क उठाया गया था कि नियम 22ए के उप-नियम (6) में 01.09.1982 नामक एक तिथि निर्धारित की गई थी, जो प्रकृति में संभावित थी।उक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया गयाः

मैं विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के इस कथन से प्रभावित नहीं हूं कि 1 सितंबर, 1982 के बाद कार्य प्रभारित कर्मचारियों की विधवाओं की मृत्यु हो गई थी, वे केवल पेंशन का विकल्प चुनने के हकदार थे।मुझे दो विधवाओं और प्रभारित कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं दिखता है, एक जिसकी मृत्यु 1 सितंबर, 1982 से पहले हो गई थी और दूसरा जिसकी मृत्यु उक्त तिथि के बाद हुई थी।नियम 224ए के उप नियम (6) की व्याख्या, जो दो विधवाओं के बीच भेदभाव करती है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।उप नियम (6) की भाषा बहुत स्पष्ट है और यह आदेश देता है कि

1 सितंबर, 1982 से मृत कार्य प्रभारित कर्मचारियों की विधवाएं जो स्थायी और सी. पी. एफ. के लिए पात्र थीं, लेकिन पेंशन का विकल्प चुने बिना उनकी मृत्यु हो गई, वे भी पेंशन के विकल्प का उपयोग कर सकती हैं।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राजस्थान राज्य द्वारा दायर विशेष अपील को इस याचिका बनाम उच्च न्यायालय द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था कि इस मुद्दे को 2002 की विशेष अपील में उच्च न्यायालय की एक अन्य खण्ड पीठ द्वारा निपटाया गया था।गिरराज ने 3 जनवरी, 2003 को निर्णय लिया।

6. राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान को अधिकार अधिकारातीत घोषित नहीं किया।नियमों में संशोधन के माध्यम से नियम 22ए को शामिल करने से पहले, कार्य प्रभार कर्मचारियों के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था।यह संशोधन 17 सितंबर, 1980 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।नियम 22 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक कार्य प्रभार कर्मचारी जिसे 10 साल की सेवा पूरी करने पर स्थायी घोषित किया गया है या घोषित किया गया है, उसके पास अंशदायी भविष्य निधि में योगदान जारी रखने या पेंशन लाभों का विकल्प चुनने का विकल्प होगा।उक्त नियम के उपखंड (iv) में प्रावधान है कि विकल्प का उपयोग तारीख से छह महीने अवधि के भीतर लिखित रूप में करना होगा।संशोधित नियम 17.08.1980 से लागू हुआ।11 दिसंबर, 1989 की अधिसूचना के माध्यम से नियम 22 में उप-नियम (6) जोड़ा गया था, जिसे 1 सितंबर, 1982 से प्रभावी बनाया गया था, जिसके संदर्भ में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की विधवाओं को भी इस तरह के विकल्प का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

7. इसलिए, राज्य ने निर्विवाद रूप से उक्त नियमों को एक संभावित प्रभाव यानी 1.9.1982 से लागू किया था।यदि ऐसा है, तो इसमें अपीलकर्ता के पक्ष में कोई लाभ देने का प्रश्न नहीं उठा और न ही उठ सकता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि उसके पति की मृत्यु वर्ष 1978 में हुई थी।नियम 22ए के तहत विकल्प के अधिकार का प्रयोग करने का सवाल तभी उठेगा जब कर्मचारी इसके लागू होने की तारीख को इसके लिए पात्र हों।इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है।चूंकि इस नियम

का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया है, इसलिए उन लोगों को इसका लाभ देने का सवाल नहीं उठता है जो अन्यथा इसके हकदार नहीं थे।प्रत्यायोजित विधान, जैसा कि सर्वविदित है, आम तौर पर संभावित होता है।प्रकृति में।एक अधिकार या दायित्व जो पहली बार बनाया गया था, उसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।इसके अलावा, उस नियम को संभावित प्रभाव देने में राज्य का इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है; नियम 22ए में संशोधन भी 1.9.1982 से ही प्रभावी होना था।कोई राहत नहीं मिल सकती। प्रभावती देवी (उपर्युक्त) में निर्णय के आधार पर इसमें अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए।उक्त निर्णय ने सही कानून निर्धारित नहीं किया।भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में एक सकारात्मक अवधारणा है।समानता, यह तुच्छ है; अवैधता में दावा नहीं किया जा सकता है।अन्यथा भी रिट याचिका के साथ-साथ समीक्षा याचिका पर भी अपीलकर्ता की ओर से देरी और विलंब के आधार पर विचार नहीं किया गया है।

8. उपर्युक्त कारणों से, हमारी राय है कि विलंब के प्रश्न के अलावा, योग्यता के आधार पर भी, अपीलकर्ता के पास कोई मामला नहीं है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

+